

दैनिक समसामयिकी विश्लेषण

समय: 45 मिनट

दिनांक: 27-06-2026

विषय सूची

छात्रों के लिए सीबीएसई द्वारा त्रिभाषा सूत्र में छूट
भारत में प्रजनन दर में गिरावट एवं उससे संबंधित चिंताएँ
नवीकरणीय ऊर्जा के विस्तार के बीच भारत द्वारा गैस-आधारित विद्युत उत्पादन को प्रोत्साहन
राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा (संशोधन) विधेयक, 2026
स्वापक नियंत्रण ब्यूरो (NCB) वार्षिक प्रतिवेदन, 2025

संक्षिप्त समाचार

गर्भाधान-पूर्व एवं प्रसव-पूर्व निदान तकनीक (लिंग चयन प्रतिषेध) अधिनियम
एयर सुविधा 2.0 पोर्टल
बांदीपुर एवं नागरहोल बाघ अभयारण्य

छात्रों के लिए सीबीएसई द्वारा त्रिभाषा सूत्र में छूट

संदर्भ

- हाल ही में सरकार ने स्पष्ट किया है कि सीबीएसई से संबद्ध विद्यालयों में कक्षा 7, 8 और 9 में अध्ययनरत विद्यार्थी, कक्षा 10 पूर्ण करने तक त्रिभाषा सूत्र के अंतर्गत विदेशी भाषाओं का अध्ययन जारी रख सकेंगे।

त्रिभाषा सूत्र नीति के बारे में

- इस नीति का उद्देश्य भारत में बहुभाषिकता, राष्ट्रीय एकता तथा भाषाई विविधता को प्रोत्साहित करना है।
- ऐतिहासिक पृष्ठभूमि: त्रिभाषा सूत्र की प्रथम अनुशांसा कोठारी आयोग (1964–66) द्वारा की गई थी।
 - इसे राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी), 1968 में अपनाया गया तथा राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 1986/1992 में पुनः दोहराया गया।
 - राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी), 2020 में इसे पुनः विशेष रूप से महत्व दिया गया।
- एनईपी 2020 के अनुसार: विद्यार्थियों को तीन भाषाओं का अध्ययन करना होगा, जिसमें भाषा चयन की पर्याप्त लचीलापन होगा।
 - तीन भाषाओं में से कम-से-कम दो भाषाएँ भारत की मूल भाषाएँ होनी चाहिए।
 - किसी भी राज्य पर कोई भाषा अनिवार्य नहीं की जाएगी।
 - भाषाओं का चयन राज्यों, क्षेत्रों तथा विद्यार्थियों की आवश्यकताओं के अनुरूप किया जाएगा।

प्रमुख निर्धारक एवं उद्देश्य

- बहुभाषिकता को प्रोत्साहन: विद्यार्थियों की भाषाई दक्षता का विकास करना।
 - मातृभाषा के अतिरिक्त अन्य भाषाओं के अध्ययन को प्रोत्साहित करना।
- राष्ट्रीय एकीकरण: विभिन्न राज्यों के बीच संवाद एवं संपर्क को सुदृढ़ करना।
 - ‘विविधता में एकता’ की अवधारणा को सशक्त बनाना।

- भारतीय भाषाओं का संरक्षण: संविधान के अनुच्छेद 29, 350A एवं 351 के अनुरूप भाषाई संरक्षण की संवैधानिक जिम्मेदारी को पूरा करना।
 - शास्त्रीय एवं क्षेत्रीय भाषाओं के संरक्षण और संवर्धन को प्रोत्साहित करना।
- संज्ञानात्मक एवं शैक्षिक लाभ: एनईपी 2020 के अनुसार बहुभाषी शिक्षा विद्यार्थियों की संज्ञानात्मक क्षमता तथा आलोचनात्मक चिंतन कौशल को बढ़ाती है।
- रोजगार एवं गतिशीलता में वृद्धि: भारत में उच्च शिक्षा तथा रोजगार के अवसरों का विस्तार करने में सहायक।
 - विभिन्न क्षेत्रों में शैक्षिक एवं व्यावसायिक गतिशीलता को बढ़ावा देना।

नीति से संबंधित प्रमुख चुनौतियाँ एवं चिंताएँ

- भाषा अनिवार्य किए जाने की आशंका: विशेषकर दक्षिण भारत के कुछ राज्यों को हिंदी अनिवार्य किए जाने की आशंका बनी हुई है।
- संघीय ढाँचे से जुड़ी चिंताएँ: शिक्षा संविधान की सातवीं अनुसूची की समवर्ती सूची का विषय है, इसलिए राज्य भाषा नीति निर्धारण में अधिक स्वायत्तता चाहते हैं।
- भाषा शिक्षकों की कमी: अनेक विद्यालयों में विभिन्न भारतीय भाषाओं के प्रशिक्षित शिक्षकों का अभाव है।
- कार्यान्वयन संबंधी चुनौतियाँ: ग्रामीण एवं दूरस्थ क्षेत्रों के विद्यालयों में आवश्यक आधारभूत संरचना तथा शिक्षण सामग्री का अभाव।
 - समय-सारिणी निर्धारण तथा पहले से बोझिल पाठ्यक्रम जैसी व्यावहारिक कठिनाइयाँ।
- समान अवसर से संबंधित समस्याएँ: सरकारी विद्यालयों के विद्यार्थियों को निजी विद्यालयों की तुलना में कम भाषा विकल्प उपलब्ध हो सकते हैं।
 - भाषाई विकल्पों में असमानता से शैक्षिक विषमताएँ बढ़ सकती हैं।
- विद्यार्थियों पर अतिरिक्त शैक्षणिक भार: अनेक भाषाओं का अध्ययन विद्यार्थियों के शैक्षणिक दबाव में वृद्धि कर सकता है।

नीति संबंधी प्रमुख चिंताओं के समाधान हेतु हालिया पहल

- **एनईपी 2020 में लचीलापन:** नीति स्पष्ट करती है कि किसी भी राज्य के लिए कोई भाषा नहीं अनिवार्य नहीं की जाएगी।
 - राज्यों तथा विद्यार्थियों को भाषा चयन में पर्याप्त स्वतंत्रता प्रदान की गई है।
- **राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा (NCF):** क्षेत्रीय विविधताओं को ध्यान में रखते हुए बहुभाषी शिक्षा को प्रोत्साहित करती है।
 - गृहभाषा/मातृभाषा में प्रारंभिक साक्षरता पर विशेष बल दिया गया है।
- **मातृभाषा आधारित शिक्षा को प्रोत्साहन:** एनईपी के अनुसार जहाँ संभव हो, कक्षा 5 तक (और अधिमानतः कक्षा 8 तक) शिक्षा का माध्यम गृहभाषा अथवा मातृभाषा होना चाहिए।
- **भाषा शिक्षकों का प्रशिक्षण:** शिक्षा मंत्रालय एवं एनसीईआरटी बहुभाषी शिक्षण सामग्री तथा भाषा शिक्षकों के प्रशिक्षण कार्यक्रम विकसित कर रहे हैं।
- **प्रौद्योगिकी का उपयोग: दीक्षा (DIKSHA)** जैसे डिजिटल मंचों पर अनेक भारतीय भाषाओं में शिक्षण सामग्री उपलब्ध कराई जा रही है।
 - विभिन्न भारतीय भाषाओं में ई-लर्निंग सामग्री का विकास किया जा रहा है।

भारत में शिक्षा से संबंधित अन्य प्रमुख पहलें

- **निपुण भारत :** आधारभूत साक्षरता एवं संख्यात्मक दक्षता को बढ़ावा देना।
- **पीएम श्री विद्यालय योजना :** एनईपी 2020 के अनुरूप आदर्श विद्यालयों का विकास।
- **समग्र शिक्षा :** पूर्व-प्राथमिक से कक्षा 12 तक की समेकित विद्यालयी शिक्षा योजना।
- **दीक्षा प्लेटफॉर्म:** विभिन्न भारतीय भाषाओं में डिजिटल शिक्षण संसाधन।
- **राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा (NCF) 2023:** बहुभाषिक एवं दक्षताआधारित शिक्षा को बढ़ावा।
- **एक भारत श्रेष्ठ भारत पहल:** राज्यों के मध्य सांस्कृतिक एवं भाषाई आदान-प्रदान को प्रोत्साहन।

आगे की राह : पहलों को और सशक्त बनाना

- **सहकारी संघवाद को प्रोत्साहन :** भाषा नीति का निर्माण केंद्र एवं राज्यों के बीच व्यापक परामर्श और सहयोग से किया जाना चाहिए।
- **अधिक लचीलापन:** क्षेत्रीय आवश्यकताओं एवं स्थानीय परिस्थितियों के अनुरूप विद्यार्थियों को अधिक भाषा विकल्प उपलब्ध कराए जाएँ।
- **भाषा शिक्षकों की क्षमता का विकास:** सभी भारतीय भाषाओं के दक्ष शिक्षकों की भर्ती एवं गुणवत्तापूर्ण प्रशिक्षण सुनिश्चित किया जाए।
- **बहुभाषी शिक्षण सामग्री का विकास:** सभी अनुसूचित भाषाओं में उच्च गुणवत्ता वाली पाठ्यपुस्तकों तथा डिजिटल शिक्षण सामग्री का विकास किया जाए।
- **प्रौद्योगिकी का प्रभावी उपयोग:** बहुभाषी शिक्षा को सुदृढ़ करने के लिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) आधारित अनुवाद उपकरणों तथा डिजिटल मंचों का व्यापक उपयोग किया जाए।
- **मातृभाषा आधारित शिक्षा:** मातृभाषा में मजबूत आधारभूत शिक्षा के साथ-साथ बहुभाषिक दक्षता को भी समान रूप से प्रोत्साहित किया जाए।

Source: TH

भारत में प्रजनन दर में गिरावट एवं उससे संबंधित चिंताएँ

संदर्भ

- नवीनतम नमूना पंजीकरण प्रणाली (Sample Registration System - SRS) के आँकड़ों के अनुसार, भारत की कुल प्रजनन दर (Total Fertility Rate - TFR) प्रति महिला 1.9 बच्चे रह गई है, जो वैश्विक औसत (2.2) तथा प्रतिस्थापन स्तर (Replacement Level) 2.1 दोनों से कम है। प्रतिस्थापन स्तर वह न्यूनतम प्रजनन दर है, जो बिना प्रवासन (Migration) के किसी देश की जनसंख्या को स्थिर बनाए रखने के लिए आवश्यक होती है।

नमूना पंजीकरण प्रणाली (SRS) सांख्यिकीय रिपोर्ट, 2024 के अनुसार भारत की कुल प्रजनन दर (TFR)

- भारत की कुल प्रजनन दर (TFR), अर्थात् किसी महिला द्वारा अपने प्रजनन काल (15-49 वर्ष) के दौरान

जन्म दिए जाने वाले बच्चों की औसत संख्या, 2.1 के प्रतिस्थापन स्तर से नीचे आ गई है।

- प्रतिस्थापन दर से आशय उस औसत जन्म दर से है, जो एक पीढ़ी से आगामी पीढ़ी तक जनसंख्या को बिना प्रवासन के स्थिर बनाए रखने के लिए आवश्यक होती है।
- वर्ष 2024 में भारत के केवल बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान तथा छत्तीसगढ़ ऐसे राज्य थे, जहाँ TFR 2.1 से अधिक दर्ज किया गया।
- दिल्ली में सबसे कम TFR 1.2 दर्ज की गई, जबकि तमिलनाडु, केरल और पश्चिम बंगाल में यह 1.3 रही।
- दक्षिणी राज्यों में TFR हमेशा से राष्ट्रीय औसत से कम रही है और विगत दो दशकों में इसमें अधिक गिरावट आई है।
- वर्ष 1985 में भारत की TFR 4.3 थी, जो प्रतिवर्ष लगभग 0.06 की दर से घटती रही है तथा इसके पुनः बढ़ने के कोई संकेत नहीं हैं।
- वर्तमान प्रवृत्ति के अनुसार, वर्ष 2031 तक भारत की TFR 1.6 से भी नीचे पहुँचने का अनुमान है।

भारत में प्रजनन दर में गिरावट के कारण

- **विवाह एवं मातृत्व में विलंब:** विशेषकर शहरी क्षेत्रों में विवाह की औसत आयु बढ़ी है।
- करियर एवं व्यावसायिक प्राथमिकताओं के कारण दंपति संतानोत्पत्ति को टाल रहे हैं।
- **शहरीकरण :** शहरी जीवन में आवास, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाओं एवं बच्चों के पालन-पोषण की लागत अधिक होती है।
- सीमित आवासीय स्थान तथा बदलती जीवनशैली छोटे परिवारों को प्रोत्साहित करती है।
- **गर्भनिरोधक साधनों एवं परिवार नियोजन तक बेहतर पहुँच :** प्रजनन स्वास्थ्य सेवाओं एवं गर्भनिरोधक साधनों की उपलब्धता बढ़ने से दंपति बच्चों की संख्या एवं उनके जन्म के बीच अंतराल की बेहतर योजना बना पा रहे हैं।
- **शिशु एवं बाल मृत्यु दर में कमी :** स्वास्थ्य सेवाओं, टीकाकरण, पोषण तथा स्वच्छता में सुधार के कारण शिशु एवं बाल मृत्यु दर में उल्लेखनीय कमी आई है।

- **आर्थिक कारण :** बच्चों के पालन-पोषण एवं शिक्षा पर होने वाला व्यय में निरंतर वृद्धि हुई है।
- परिवार अब कम बच्चों पर अधिक संसाधन निवेश कर उनकी शिक्षा एवं जीवन-स्तर को बेहतर बनाने को प्राथमिकता दे रहे हैं।
- **जनसांख्यिकीय संक्रमण :** भारत जनसांख्यिकीय संक्रमण मॉडल के उत्तरवर्ती चरण में प्रवेश कर चुका है, जिसकी विशेषता निम्न जन्म दर, निम्न मृत्यु दर तथा धीमी जनसंख्या वृद्धि है।

प्रमुख चिंताएँ

- **भारत एवं अन्य देशों के बीच अंतर:** पश्चिमी यूरोप एवं जापान में जनसंख्या वृद्धावस्था तब आई जब वे औद्योगीकरण, औपचारिक रोजगार, व्यापक कराधान व्यवस्था तथा सुदृढ़ कल्याणकारी संस्थानों का विकास कर चुके थे।
- इसके बावजूद वृद्धावस्था का दबाव सार्वजनिक वित्त पर पड़ा और जापान का सार्वजनिक ऋण GDP के 200% से अधिक हो गया।
- भारत इससे भिन्न परिस्थितियों में जनसांख्यिकीय संक्रमण के दौर में प्रवेश कर रहा है।
- भारत की प्रति व्यक्ति आय लगभग 2,800 अमेरिकी डॉलर है तथा प्रत्यक्ष करदाताओं का आधार अभी भी सीमित है।
- सामाजिक क्षेत्र की अधिकांश जिम्मेदारियाँ राज्य सरकारों पर हैं, जो पहले से ही वित्तीय दबाव का सामना कर रही हैं।
- **अनौपचारिक रोजगार :** अधिकांश भारतीय श्रमिक अपने पूरे कार्यकाल में अनौपचारिक अथवा अर्द्ध-औपचारिक रोजगार में कार्यरत रहते हैं।
- परिणामस्वरूप वृद्धावस्था आय-सुरक्षा औपचारिक रोजगार अनुबंधों से बाहर रह जाती है।
- अंशदान-आधारित पेंशन प्रणाली तभी प्रभावी होती है, जब रोजगार नियमित, आय स्थिर तथा दीर्घकालिक बचत संभव हो।
- **वर्तमान सामाजिक सुरक्षा व्यवस्था:** अटल पेंशन योजना पूरे कार्यकाल में नियमित अंशदान पर आधारित है, जो अनियमित आय वाले अनौपचारिक श्रमिकों के लिए कठिन है।

- **राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (NSAP)** के अंतर्गत 60 से 79 वर्ष की आयु के वृद्धों को मात्र **₹200 प्रति माह** तथा 80 वर्ष से अधिक आयु वालों को **₹500 प्रति माह** की पेंशन मिलती है।
- इतनी अल्प सहायता वृद्धजनों को आर्थिक निर्भरता से मुक्त करने के लिए पर्याप्त नहीं है।
- **क्षेत्रीय जनसांख्यिकीय असंतुलन** : विभिन्न राज्यों में प्रजनन दर में उल्लेखनीय असमानता विद्यमान है।
 - दक्षिणी एवं पश्चिमी राज्यों में प्रजनन दर प्रतिस्थापन स्तर से काफी नीचे है, जबकि **बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश एवं राजस्थान** जैसे राज्यों में यह अपेक्षाकृत अधिक बनी हुई है।
 - इस असमानता का प्रभाव **आंतरिक प्रवासन, राजनीतिक प्रतिनिधित्व, संसाधनों के आवंटन तथा श्रम बाजार की गतिशीलता** पर पड़ सकता है।

सरकारी पहल

- **राज्य-स्तरीय जनसंख्या नीतियाँ** : आंध्र प्रदेश की **जनसंख्या प्रबंधन नीति (2026)** के अंतर्गत दूसरे, तीसरे एवं चौथे बच्चे के जन्म पर नकद प्रोत्साहन, निःशुल्क शिक्षा सहायता, प्रजनन (फर्टिलिटी) क्लिनिकों की स्थापना तथा मातृ स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार का प्रावधान किया गया है।
 - **सिक्किम** ने घटती प्रजनन दर से निपटने के लिए विस्तारित मातृत्व एवं पितृत्व अवकाश तथा **इन-विट्रो फर्टिलाइजेशन (IVF)** उपचार हेतु सहायता जैसी पहलें प्रारम्भ की हैं।
- **बांझपन सहायता कार्यक्रम** : **जियो पारसी योजना** के अंतर्गत पारसी समुदाय की घटती जनसंख्या को रोकने के उद्देश्य से बांझपन उपचार हेतु वित्तीय सहायता, बाल देखभाल सहायता तथा जन-जागरूकता अभियान संचालित किए जाते हैं।
- **मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य योजनाएँ**: **राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (NHM)** के अंतर्गत संचालित कार्यक्रम मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य में सुधार, शिशु मृत्यु दर में कमी तथा परिवार निर्माण एवं संतानोत्पत्ति के अनुकूल परिस्थितियों के निर्माण में सहायक हैं।
 - **प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना (PMMVY)** के माध्यम से गर्भवती एवं धात्री (स्तनपान कराने वाली) महिलाओं को मातृत्व लाभ प्रदान किए जाते हैं।
- **मिशन शक्ति**: यह महिलाओं के **सशक्तिकरण एवं सुरक्षा** हेतु एक समेकित कार्यक्रम है।
 - इसके अंतर्गत बाल देखभाल सेवाओं तथा महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण से संबंधित विभिन्न योजनाएँ सम्मिलित हैं।
- **पालना योजना (राष्ट्रीय शिशु गृह योजना)**: यह योजना **6 माह से 6 वर्ष** तक के बच्चों के लिए डे-केयर (दिवसीय देखभाल) सुविधाएँ उपलब्ध कराती है।
 - इसके अंतर्गत पोषण, स्वास्थ्य देखभाल तथा प्रारंभिक शिक्षा संबंधी सहायता प्रदान की जाती है, जिससे माताओं को कार्यबल में सक्रिय रूप से भाग लेने में सुविधा मिलती है।
- **अटल वयो अभ्युदय योजना (AVYAY)**: **AVYAY** के अंतर्गत वरिष्ठ नागरिकों से संबंधित वर्तमान योजनाओं, भावी रणनीतियों, लक्ष्यों, वित्तीय प्रावधानों एवं उत्तरदायित्वों को एकीकृत रूप में समाहित किया गया है।
 - यह योजना वरिष्ठ नागरिकों की चार प्रमुख आवश्यकताओं—**वित्तीय सुरक्षा, खाद्य सुरक्षा, स्वास्थ्य देखभाल तथा सम्मानजनक सामाजिक जीवन एवं मानवीय संवाद**—की पूर्ति सुनिश्चित करने का प्रयास करती है।
 - इसके अतिरिक्त इसमें वरिष्ठ नागरिकों की **सुरक्षा, संरक्षण, समग्र कल्याण, जन-जागरूकता** एवं समाज के संवेदनशीलकरण जैसे पहलुओं को भी शामिल किया गया है।
- **वरिष्ठ नागरिकों हेतु एकीकृत कार्यक्रम योजना (IPSRc)**: इस योजना के अंतर्गत विशेष रूप से निर्धन वरिष्ठ नागरिकों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार हेतु वृद्धाश्रमों की स्थापना की जाती है।
 - इन संस्थानों में आश्रय, भोजन, चिकित्सा सुविधाएँ तथा मनोरंजन संबंधी अवसर उपलब्ध कराए जाते हैं।
- **सिल्वर अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहन**: इस पहल का उद्देश्य उद्यमियों को वरिष्ठ नागरिकों की समस्याओं के समाधान हेतु नवाचारपूर्ण उत्पाद एवं सेवाएँ विकसित करने के लिए प्रोत्साहित करना है।

- सरकार सीनियरकेयर एजिंग ग्रोथ इंजन नामक पोर्टल के माध्यम से इक्विटी भागीदारी के आधार पर अधिकतम ₹1 करोड़ तक की वित्तीय सहायता प्रदान कर इस उद्देश्य की प्राप्ति का प्रयास कर रही है।

आगे की राह

- संतुलित जनसंख्या नीति अपनाना :** केवल जनसंख्या नियंत्रण पर केंद्रित दृष्टिकोण के स्थान पर ऐसी जनसांख्यिकीय रणनीति अपनाई जानी चाहिए, जो जनसंख्या स्थिरीकरण एवं घटती प्रजनन दर दोनों के बीच संतुलन स्थापित करे।
- परिवार सहायता उपायों का सुदृढीकरण :** युवा दंपतियों के लिए किराया बाल देखभाल सेवाएँ, मातृत्व एवं पितृत्व अवकाश तथा लचीली कार्य व्यवस्था उपलब्ध कराई जानी चाहिए।
- प्रजनन एवं प्रजनन स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार:** विशेष रूप से छोटे शहरों एवं ग्रामीण क्षेत्रों में बांझपन उपचार, सहायक प्रजनन प्रौद्योगिकियों (ART) तथा प्रजनन स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुँच का विस्तार किया जाना चाहिए।
- लैंगिक समानता को प्रोत्साहन:** देखभाल संबंधी जिम्मेदारियों के समान वितरण को प्रोत्साहित किया जाए तथा महिलाओं की कार्यबल में भागीदारी बढ़ाने हेतु कार्यस्थलों पर सहायक नीतियाँ लागू की जाएँ।
- राज्य-विशिष्ट हस्तक्षेपों पर बल:** विभिन्न राज्यों में प्रजनन स्तर में व्यापक भिन्नता को ध्यान में रखते हुए क्षेत्रीय जनसांख्यिकीय परिस्थितियों के अनुरूप नीतियाँ तैयार की जानी चाहिए।
- मानव पूंजी में निवेश:** प्रजनन दर से संबंधित उपायों के साथ-साथ शिक्षा, स्वास्थ्य तथा कौशल विकास में निवेश बढ़ाकर भारत के जनसांख्यिकीय संक्रमण से अधिकतम लाभ प्राप्त किया जाना चाहिए।

निष्कर्ष

- अंतरराष्ट्रीय अनुभव दर्शाते हैं कि निम्न प्रजनन दर आर्थिक समृद्धि के साथ सह-अस्तित्व में रह सकती है।
- किंतु भारत ऐसी स्थिति में व्यापक वृद्धावस्था के दौर में प्रवेश कर रहा है, जबकि वह उन आर्थिक, सामाजिक एवं संस्थागत परिवर्तनों को अभी पूर्ण रूप से संपन्न

नहीं कर पाया है, जिन्होंने अन्य देशों में वृद्धावस्था की चुनौतियों का प्रभावी प्रबंधन संभव बनाया।

- अतः भारत का निम्न-प्रजनन भविष्य तभी सतत एवं संतुलित होगा, जब सुदृढ सार्वजनिक संस्थान धीरे-धीरे उन सामाजिक एवं आर्थिक उत्तरदायित्वों का निर्वहन करने लगें, जिन्हें अब तक बड़े परिवार स्वाभाविक रूप से निभाते रहे हैं।

Source: TH


नवीकरणीय ऊर्जा के विस्तार के बीच भारत द्वारा गैस-आधारित विद्युत उत्पादन को प्रोत्साहन

संदर्भ

- ग्रिड कंट्रोलर ऑफ इंडिया ने गैस-आधारित विद्युत संयंत्रों को आगामी दिनों में गैस-आधारित विद्युत उत्पादन की अतिरिक्त आवश्यकता की संभावना को देखते हुए ईंधन खरीद की अग्रिम व्यवस्था करने की सलाह दी है।


गैस-आधारित विद्युत उत्पादन क्या है?

- गैस-आधारित विद्युत संयंत्र प्राकृतिक गैस अथवा तरलीकृत गैस का उपयोग करके विद्युत का उत्पादन करते हैं।
- ये मुख्यतः संयुक्त चक्र गैस टरबाइन (CCGT) प्रौद्योगिकी पर आधारित होते हैं, जो:
 - कोयला आधारित संयंत्रों की तुलना में शीघ्र प्रारम्भ हो सकते हैं।
 - अधिक परिचालन लचीलापन प्रदान करते हैं।
 - कोयला आधारित विद्युत संयंत्रों की अपेक्षा कम कार्बन उत्सर्जन करते हैं।



भारत का ऊर्जा परिदृश्य

- भारत ने अपनी स्थापित विद्युत क्षमता का 50 प्रतिशत से अधिक भाग गैर-जीवाश्म ईंधन से प्राप्त कर लिया है, जो वर्ष 2030 के राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान के लक्ष्य से काफी पहले प्राप्त किया गया है।
- IRENA नवीकरणीय ऊर्जा आँकड़े 2025 के अनुसार:
 - भारत सौर ऊर्जा स्थापित क्षमता में विश्व में तीसरे स्थान पर है।
 - पवन ऊर्जा क्षमता में चौथे स्थान पर है।
 - कुल नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता के मामले में भी चौथे स्थान पर है।
- इसके बावजूद कोयला आधारित तापीय विद्युत उत्पादन अभी भी राष्ट्रीय ग्रिड का प्रमुख आधार बना हुआ है तथा कुल चरम विद्युत मांग के दो-तिहाई से अधिक की पूर्ति करता है।
- हालांकि, सौर ऊर्जा उत्पादन के समय यह योगदान घटकर लगभग 57 प्रतिशत रह जाता है।



भारत को अभी भी गैस-आधारित विद्युत की आवश्यकता क्यों है?

- अपेक्षाकृत स्वच्छ ऊर्जा स्रोत: गैस-आधारित विद्युत उत्पादन, कोयला आधारित संयंत्रों की तुलना में कम प्रदूषक उत्सर्जित करता है, जिससे यह अपेक्षाकृत स्वच्छ ऊर्जा विकल्प माना जाता है।
- जलविद्युत उत्पादन में कमी: भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने वर्तमान मानसून में सामान्य से कम वर्षा का पूर्वानुमान व्यक्त किया है।

- इससे जलाशयों में जल प्रवाह कम होगा, जिसके परिणामस्वरूप जलविद्युत उत्पादन प्रभावित होगा।
- नवीकरणीय ऊर्जा की अनियमित प्रकृति : सूर्यास्त के बाद सौर ऊर्जा उत्पादन समाप्त हो जाता है।
- पवन ऊर्जा उत्पादन भी मौसम के अनुसार परिवर्तित होता रहता है।
- जबकि विद्युत की मांग पूरे दिन बनी रहती है तथा सायंकालीन समय में अपने उच्चतम स्तर पर पहुँचती है।
- ग्रिड संतुलन: गैस-आधारित विद्युत संयंत्र कम समय में प्रारम्भ होकर उत्पादन बढ़ा सकते हैं।
- इसलिए ये परिवर्तनीय नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों के साथ ग्रिड संतुलन बनाए रखने में अत्यंत उपयोगी हैं।
- त्वरित स्थापना : गैस-आधारित विद्युत संयंत्रों का निर्माण बड़े कोयला अथवा परमाणु विद्युत संयंत्रों की तुलना में अपेक्षाकृत कम समय में किया जा सकता है।

गैस-आधारित विद्युत उत्पादन की चुनौतियाँ

- प्राकृतिक गैस का आयात: भारत के पास प्राकृतिक गैस के सीमित घरेलू भंडार हैं।
- इसकी अधिकांश आवश्यकता आयातित प्राकृतिक गैस से पूरी की जाती है, जो मुख्यतः कतर, ऑस्ट्रेलिया तथा संयुक्त राज्य अमेरिका से आयात की जाती है।
- आधारभूत संरचना संबंधी बाधाएँ: प्राकृतिक गैस के प्रभावी परिवहन एवं वितरण हेतु पाइपलाइन, LNG टर्मिनल तथा सिटी गैस वितरण (CGD) नेटवर्क जैसी आधारभूत संरचना का विकास आवश्यक है।
 - किन्तु भारत में इनका विस्तार भूमि अधिग्रहण संबंधी समस्याओं, नियामकीय बाधाओं तथा वित्तीय संसाधनों की कमी के कारण अपेक्षित गति से नहीं हो पाया है।
- पर्यावरणीय चिंताएँ: यद्यपि प्राकृतिक गैस को कोयला एवं पेट्रोलियम की तुलना में स्वच्छ ईंधन माना जाता है, फिर भी इसके उत्खनन, परिवहन एवं दहन के दौरान ग्रीनहाउस गैसों का उत्सर्जन होता है।
- संयंत्रों का कम उपयोग: महंगे ईंधन एवं घरेलू प्राकृतिक गैस की सीमित उपलब्धता के कारण अनेक गैस-आधारित विद्युत संयंत्र अपनी पूर्ण क्षमता से संचालित नहीं हो पा रहे हैं।

गैस-आधारित ऊर्जा को बढ़ावा देने हेतु सरकारी पहल

- आधारभूत संरचना का विकास : जून 2025 तक लगभग 25,429 किलोमीटर प्राकृतिक गैस पाइपलाइनें संचालित हो चुकी हैं, जबकि 10,459 किलोमीटर पाइपलाइनें विभिन्न निर्माण चरणों में हैं।
- राष्ट्रीय गैस ग्रिड ("एक राष्ट्र, एक गैस ग्रिड"): इसका उद्देश्य पाइपलाइन नेटवर्क का विस्तार कर सभी राज्यों को जोड़ना तथा प्राकृतिक गैस का सुरक्षित एवं किफायती परिवहन सुनिश्चित करना है।
- प्रधानमंत्री ऊर्जा गंगा परियोजना: जगदीशपुर-हल्दिया-बोकारो-धामरा-बरौनी-गुवाहाटी प्राकृतिक गैस पाइपलाइन लगभग 3,546 किलोमीटर लंबी है।
 - यह उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, ओडिशा, पश्चिम बंगाल एवं असम सहित छह राज्यों से होकर गुजरती है तथा पूर्वी भारत में स्वच्छ ईंधन उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखती है।
- सिटी गैस वितरण (CGD) नेटवर्क का विस्तार: सरकार घरेलू उपभोक्ताओं, उद्योगों तथा वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों तक पाइपड नेचुरल गैस (PNG) की पहुँच बढ़ाने हेतु CGD नेटवर्क के विस्तार को प्रोत्साहित कर रही है।
 - पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड (PNGRB) द्वारा चिन्हित भौगोलिक क्षेत्रों में CGD नेटवर्क विकसित करने के लिए विभिन्न संस्थाओं को लाइसेंस प्रदान किए जाते हैं।
- गैस मूल्य निर्धारण में सुधार : नई घरेलू गैस मूल्य निर्धारण दिशा-निर्देश (2014) तथा हाइड्रोकार्बन अन्वेषण एवं लाइसेंसिंग नीति (HELP) जैसी सुधारात्मक पहलों का उद्देश्य घरेलू गैस उत्पादकों को मूल्य प्रोत्साहन प्रदान करना तथा उपभोक्ताओं के हितों के बीच संतुलन स्थापित करना है।
- प्राकृतिक गैस अवसंरचना विकास कोष (NGIDF): सरकार ने भारत में प्राकृतिक गैस अवसंरचना के विकास हेतु वित्तीय सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से NGIDF की स्थापना की है।

आगे की राह

- बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली (BESS): ग्रिड स्तर की बैटरी भंडारण प्रणालियों की स्थापना को नीतिगत समर्थन एवं वित्तीय प्रोत्साहनों के माध्यम से तीव्र गति प्रदान की जानी चाहिए, ताकि ग्रिड संतुलन एवं चरम मांग के समय विश्वसनीय ऊर्जा उपलब्ध हो सके।
- पंपड स्टोरेज परियोजनाओं (PSPs) का विस्तार: दीर्घकालिक एवं किफायती ऊर्जा भंडारण समाधान के रूप में पंपड हाइड्रो स्टोरेज परियोजनाओं के विकास को प्राथमिकता दी जानी चाहिए।
- कृत्रिम बुद्धिमत्ता एवं डिजिटल ग्रिड प्रबंधन का उपयोग: नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन के सटीक पूर्वानुमान तथा विद्युत अनुसूची के अनुकूलन हेतु कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI), मशीन लर्निंग एवं डिजिटल ग्रिड प्रबंधन तकनीकों का व्यापक उपयोग किया जाना चाहिए।
- पारिषण अवसंरचना का विस्तार: ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर तथा अंतरराज्यीय विद्युत पारिषण नेटवर्क के विस्तार को गति दी जानी चाहिए, ताकि संसाधन-संपन्न क्षेत्रों से मांग वाले क्षेत्रों तक नवीकरणीय ऊर्जा का प्रभावी संचरण सुनिश्चित हो सके।

निष्कर्ष

- भारत का ऊर्जा संक्रमण अब केवल अधिक संख्या में सौर पैनलों एवं पवन टर्बाइनों की स्थापना तक सीमित नहीं है, बल्कि इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि उपभोक्ताओं को आवश्यकता के प्रत्येक समय स्वच्छ एवं विश्वसनीय विद्युत उपलब्ध हो।
- जब तक बड़े पैमाने पर ऊर्जा भंडारण प्रणालियाँ तथा स्मार्ट ग्रिड प्रौद्योगिकियाँ व्यापक रूप से विकसित एवं लागू नहीं हो जातीं, तब तक गैस-आधारित विद्युत उत्पादन भारत की ऊर्जा प्रणाली में ग्रिड संतुलन बनाए रखने वाले एक महत्वपूर्ण एवं अनिवार्य संसाधन के रूप में अपनी भूमिका निभाता रहेगा।

Source: IE, BS, MOSPI, NITI AAYOG

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा (संशोधन) विधेयक, 2026

संदर्भ

- केंद्रीय खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NFSA), 2013 में प्रस्तावित संशोधनों का प्रारूप प्रकाशित किया है।

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013

- राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NFSA), 2013 का उद्देश्य ग्रामीण जनसंख्या के 75% तथा शहरी जनसंख्या के 50% तक की खाद्य आवश्यकताओं की पूर्ति करना है, जो जनगणना 2011 के अनुसार लगभग 81.35 करोड़ व्यक्तियों के बराबर है।
- इसका उद्देश्य लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (TPDS) के माध्यम से रियायती दरों पर खाद्यान्न उपलब्ध कराकर खाद्य एवं पोषण सुरक्षा सुनिश्चित करना है।
- पात्र परिवारों को निम्नलिखित आधार पर रियायती खाद्यान्न उपलब्ध कराया जाता है—
 - अंत्योदय अन्न योजना (AAY) परिवार: ये परिवार समाज के अत्यंत गरीब वर्ग से संबंधित होते हैं।
 - प्रत्येक AAY परिवार को प्रति माह 35 किलोग्राम खाद्यान्न प्रदान किया जाता है।
 - प्राथमिकता परिवार (PHH): प्रत्येक पात्र व्यक्ति को प्रति माह 5 किलोग्राम खाद्यान्न प्रदान किया जाता है।

लाभार्थी कौन हैं?

- अंत्योदय अन्न योजना (AAY) परिवार: इनका चयन राज्य सरकारों/केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित मानदंडों के आधार पर किया जाता है। यह योजना समाज के सबसे गरीब एवं वंचित परिवारों को कवर करती है।
 - पात्र श्रेणियाँ: ऐसे परिवार जिनका मुखिया विधवा, असाध्य रोग से पीड़ित, दिव्यांग अथवा 60 वर्ष या उससे अधिक आयु का वृद्ध हो तथा जिनके पास आजीविका का सुनिश्चित साधन या सामाजिक सहयोग उपलब्ध न हो।

- ऐसी विधवा, असाध्य रोगी, दिव्यांग व्यक्ति, 60 वर्ष या उससे अधिक आयु के व्यक्ति, अविवाहित महिला अथवा अविवाहित पुरुष, जिनके पास परिवार, सामाजिक सहयोग अथवा आजीविका का कोई सुनिश्चित साधन न हो।
- सभी आदिम जनजातीय (PTGs) परिवार।
- भूमिहीन कृषि श्रमिक, सीमांत किसान, ग्रामीण कारीगर/शिल्पकार, झुग्गी-झोपड़ी निवासी, असंगठित क्षेत्र में दैनिक मजदूरी करने वाले व्यक्ति तथा ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों के अन्य समान वर्ग।
- एचआईवी (HIV) से संक्रमित सभी पात्र गरीबी रेखा से नीचे (BPL) परिवार।
- प्राथमिकता परिवार (PHH): इनका चयन राज्य सरकारों एवं केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन द्वारा अपने-अपने निर्धारित मानदंडों के अनुसार किया जाता है।

प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (PMGKAY) के साथ विलय

- वर्ष 2020 में कोविड-19 महामारी के दौरान सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (PMGKAY) प्रारम्भ की, जिसके अंतर्गत अतिरिक्त खाद्यान्न निःशुल्क उपलब्ध कराया गया।
- जनवरी 2023 से सरकार ने PMGKAY का NFSA में विलय कर दिया तथा NFSA के अंतर्गत मिलने वाले नियमित खाद्यान्न को भी पूर्णतः निःशुल्क कर दिया।
- नवंबर 2023 में इस निःशुल्क खाद्यान्न योजना को पाँच वर्ष (जनवरी 2024 से दिसंबर 2028 तक) के लिए बढ़ा दिया गया।

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NFSA) में प्रस्तावित संशोधन

- राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 की धारा 3 में एक नया प्रावधान जोड़ने का प्रस्ताव है, जिसके अनुसार अंत्योदय अन्न योजना (AAY) के अंतर्गत आने वाले प्रत्येक व्यक्ति को प्रति माह 7 किलोग्राम खाद्यान्न प्रदान किया जाएगा, बशर्ते कि प्रति परिवार अधिकतम 35 किलोग्राम की सीमा लागू रहे।

- पूर्व में प्रत्येक **AAV परिवार** को परिवार के सदस्यों की संख्या की परवाह किए बिना **35 किलोग्राम खाद्यान्न प्रति माह** प्रदान किया जाता था।
- **AAV राशन कार्डधारकों** को यह खाद्यान्न **पूर्णतः निःशुल्क** उपलब्ध कराया जाएगा।
- **प्रस्ताव का औचित्य**: इस संशोधन का उद्देश्य खाद्यान्न आवंटन को अधिक तर्कसंगत बनाना है।
 - वर्तमान व्यवस्था में छोटे परिवारों को प्रति व्यक्ति अपेक्षाकृत अधिक तथा बड़े परिवारों को कम खाद्यान्न प्राप्त होता है।
 - प्रस्तावित संशोधन इस असंतुलन को दूर करने का प्रयास करता है।
- **कार्यान्वयन संबंधी चुनौतियाँ**: प्रस्तावित संशोधन सार्वजनिक वितरण प्रणाली से संबंधित परिचालन समस्याओं का समाधान नहीं करता।
 - बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण की विफलता, ई-केवाईसी (e-KYC) से संबंधित बहिष्करण, इंटरनेट कनेक्टिविटी की समस्याएँ तथा प्रवासी श्रमिकों, वरिष्ठ नागरिकों एवं दिव्यांग व्यक्तियों द्वारा सामना की जाने वाली कठिनाइयाँ आज भी पात्र लाभार्थियों को उनके खाद्यान्न अधिकार प्राप्त करने से वंचित करती हैं।

आगे की राह

प्रमुख चिंताएँ

- **अपर्याप्त पोषण सुरक्षा** : प्रस्तावित संशोधन केवल अनाज तक सीमित है।
 - इसमें दालें, खाद्य तेल अथवा अन्य पोषक खाद्य पदार्थों को शामिल नहीं किया गया है।
- **अधिक खाद्यान्न की मांग** : 'राइट टू फूड' अभियान से जुड़े कार्यकर्ताओं ने विशेष रूप से अत्यंत गरीब परिवारों के लिए **7 किलोग्राम के स्थान पर 14 किलोग्राम प्रति व्यक्ति** खाद्यान्न उपलब्ध कराने की मांग की है।
- **बड़े परिवारों के साथ असमानता**: संशोधन में प्रति परिवार **35 किलोग्राम** की अधिकतम सीमा यथावत रखी गई है।
 - परिणामस्वरूप बड़े परिवारों को अभी भी प्रति व्यक्ति अपेक्षित मात्रा से कम खाद्यान्न प्राप्त होगा।
- **क्षेत्रीय असमानताएँ**: दक्षिणी राज्यों में अपेक्षाकृत छोटे परिवार अधिक संख्या में पाए जाते हैं।
 - प्रस्तावित व्यवस्था के अंतर्गत ऐसे परिवारों को वर्तमान प्रणाली की तुलना में कम खाद्यान्न प्राप्त हो सकता है।
- **पुराना लाभार्थी कवरेज**: राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत लाभार्थियों का कवरेज अभी भी जनगणना 2011 के आँकड़ों पर आधारित है।
 - जनसंख्या में उल्लेखनीय वृद्धि के बावजूद लाखों पात्र परिवार अभी भी सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) के दायरे से बाहर हैं।
- **नवीनतम जनगणना के आधार पर लाभार्थी कवरेज का अद्यतन**: वर्तमान जनसांख्यिकीय परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए **राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम** के लाभार्थियों का कवरेज नवीनतम जनगणना के आधार पर संशोधित किया जाना चाहिए।
- **वर्तमान लाभार्थियों की खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करना**: संशोधन लागू करते समय यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि किसी भी वर्तमान लाभार्थी की खाद्य सुरक्षा प्रभावित न हो।
- **पोषण सुरक्षा का सुदृढ़ीकरण**: केवल अनाज के स्थान पर दालें, खाद्य तेल एवं फोर्टिफाइड (पोषण-संवर्धित) खाद्य पदार्थों को भी योजना में सम्मिलित करने पर विचार किया जाना चाहिए।
- **राज्यों के साथ व्यापक परामर्श**: संशोधन को अंतिम रूप देने से पूर्व राज्यों के साथ व्यापक विचार-विमर्श कर सहमति बनाई जानी चाहिए, जिससे सहकारी संघवादको और अधिक सुदृढ़ किया जा सके।

Source: DTE, TH, PIB

स्वापक नियंत्रण ब्यूरो (NCB) वार्षिक प्रतिवेदन, 2025

संदर्भ

- केंद्रीय गृह मंत्री ने 'स्वापक नियंत्रण ब्यूरो (NCB) वार्षिक प्रतिवेदन, 2025' जारी किया है।

प्रतिवेदन के प्रमुख बिंदु

- **म्यांमार अफीम का वैकल्पिक वैश्विक स्रोत बनकर उभरा:** वर्ष 2022 में अफगानिस्तान में तालिबान द्वारा मादक पदार्थों पर प्रतिबंध लगाए जाने के बाद म्यांमार वैश्विक अफीम आपूर्ति का एक प्रमुख वैकल्पिक स्रोत बनकर उभरा है।
 - वर्ष 2021 से 2023 के बीच म्यांमार में अवैध अफीम की खेती में लगभग 56 प्रतिशत की वृद्धि हुई तथा पोस्ता की खेती का क्षेत्रफल बढ़कर 45,200 हेक्टेयर तक पहुँच गया।
 - म्यांमार का गोल्डन ट्रायंगल क्षेत्र अब केवल अफीम ही नहीं, बल्कि **मैथामफेटामाइन (याबा टैबलेट्स)** के प्रमुख वैश्विक केंद्र के रूप में भी विकसित हो गया है।
- **पूर्वोत्तर भारत सर्वाधिक प्रभावित :** म्यांमार में मादक पदार्थों के बढ़ते उत्पादन के कारण **मणिपुर, मिजोरम एवं नागालैंड** जैसे पूर्वोत्तर राज्य सबसे अधिक प्रभावित हो रहे हैं।
 - ये राज्य मादक पदार्थों की तस्करी के विरुद्ध अग्रिम मोर्चे पर गंभीर चुनौतियों का सामना कर रहे हैं।
- **छिद्रपूर्ण सीमा व्यवस्था:** भारत-म्यांमार सीमा पर लागू **मुक्त आवाजाही व्यवस्था (FMR)** ने ऐसी परिस्थितियाँ उत्पन्न कर दी हैं, जिनके कारण ये राज्य केवल पारगमन क्षेत्र न रहकर मादक पदार्थों के वितरण के सक्रिय केंद्र बनते जा रहे हैं।
- **अफगानिस्तान मार्ग से मादक पदार्थों की तस्करी:** पाकिस्तान सीमा के पार से **ड्रोन आधारित मादक पदार्थों की तस्करी** में विगत पाँच वर्षों के दौरान लगभग **पाँच गुना वृद्धि** हुई है, विशेष रूप से **पंजाब** में।
 - यह वृद्धि दर्शाती है कि तस्करी नेटवर्क पारंपरिक सीमा निगरानी से बचने के लिए **मानवरहित हवाई वाहनों (UAVs)** का अधिक संगठित एवं परिष्कृत उपयोग कर रहे हैं।
 - अफगानिस्तान से संचालित दक्षिण एशियाई मादक पदार्थ तस्करी नेटवर्क पाकिस्तान के माध्यम से **पंजाब एवं राजस्थान की स्थलीय सीमाओं** तथा **गुजरात एवं महाराष्ट्र के समुद्री तटों** के रास्ते भारत में प्रवेश करता है।

भारत मादक पदार्थों की तस्करी का प्रमुख लक्ष्य क्यों है?

- **भौगोलिक स्थिति:** भारत दो प्रमुख वैश्विक मादक पदार्थ उत्पादक क्षेत्रों—**गोल्डन क्रिसेंट** (अफगानिस्तान, पाकिस्तान एवं ईरान) तथा **गोल्डन ट्रायंगल** (म्यांमार, लाओस एवं थाईलैंड)—के मध्य स्थित है।
 - परिणामस्वरूप भारत लंबे समय से दोनों क्षेत्रों से होने वाली **हेरोइन तस्करी** से प्रभावित रहा है।
- **विस्तृत स्थलीय एवं समुद्री सीमाएँ:** भारत की **15,000 किलोमीटर से अधिक स्थलीय सीमा** तथा **11,000 किलोमीटर से अधिक लंबी समुद्री तटरेखा** है।
 - म्यांमार, नेपाल एवं बांग्लादेश के साथ छिद्रपूर्ण सीमाएँ तथा दुर्गम भौगोलिक परिस्थितियाँ तस्करी को सुगम बनाती हैं।
- **बढ़ता घरेलू बाजार :** भारत अब केवल मादक पदार्थों का पारगमन (Transit) देश नहीं रह गया है, बल्कि एक बड़ा उपभोक्ता बाजार भी बन चुका है।
- **औषधि निर्माण का प्रमुख केंद्र :** भारत विश्व के सबसे बड़े औषधि एवं अग्रदूत रसायनों के उत्पादकों में से एक है।
 - यदि इन रसायनों की प्रभावी निगरानी न हो, तो उनका दुरुपयोग **सिंथेटिक मादक पदार्थों** के अवैध निर्माण में किया जा सकता है।
- **नार्को-आतंकवाद:** मादक पदार्थों की तस्करी से प्राप्त धनराशि का उपयोग आतंकवादी संगठनों एवं उग्रवादी समूहों के वित्तपोषण में किया जाता है।
 - विशेष रूप से भारत की **पश्चिमी सीमा** पर भारत-विरोधी गतिविधियों के लिए इस धन का उपयोग किया गया है।
- **समुद्री व्यापार का विस्तार :** भारत के व्यस्त बंदरगाहों एवं बढ़ते कंटेनर यातायात के कारण वैध माल के बीच मादक पदार्थों को छिपाकर तस्करी करने की संभावना बढ़ जाती है।
- **दुर्गम भू-भाग एवं सीमा संबंधी चुनौतियाँ :** घने वन, पर्वतीय क्षेत्र, रेगिस्तान एवं नदी तटीय क्षेत्र प्रभावी निगरानी को कठिन बना देते हैं।

- **क्षेत्रीय अस्थिरता:** पड़ोसी देशों के कुछ भागों में राजनीतिक अस्थिरता एवं कमजोर कानून-व्यवस्था के कारण मादक पदार्थों की खेती, उत्पादन एवं तस्करी को बढ़ावा मिलता है।

मादक पदार्थों के दुरुपयोग के प्रभाव

- **आर्थिक प्रभाव:** मादक पदार्थों का सेवन श्रम उत्पादकता को कम करता है, स्वास्थ्य व्यय बढ़ाता है तथा मानव पूंजी को कमजोर करता है।
- **स्वास्थ्य संबंधी प्रभाव:** इससे मानसिक विकार उत्पन्न होते हैं, एचआईवी/एड्स एवं हेपेटाइटिस जैसे रोगों का प्रसार होता है तथा शारीरिक स्वास्थ्य में गिरावट आती है।
- **सामाजिक प्रभाव :** मादक पदार्थों का दुरुपयोग पारिवारिक विघटन, घरेलू हिंसा, सामाजिक अलगाव तथा सामाजिक कलंक को बढ़ावा देता है।
- **राष्ट्रीय सुरक्षा पर प्रभाव :** मादक पदार्थों का व्यापार नार्को-आतंकवाद, संगठित अपराध तथा युवाओं की आपराधिक गतिविधियों में संलिप्तता को बढ़ावा देकर राष्ट्रीय सुरक्षा एवं सामाजिक एकता को कमजोर करता है।

उठाए गए प्रमुख कदम

- **भारतीय पहल:**
 - **स्वापक औषधि एवं मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 :** यह अधिनियम मादक पदार्थों के उत्पादन, कब्जे, बिक्री एवं उपभोग पर प्रतिबंध लगाता है तथा उल्लंघन करने वालों के लिए दंड का प्रावधान करता है।
 - **नशा मुक्त भारत अभियान:** वर्ष 2020 में प्रारम्भ इस अभियान का उद्देश्य मादक पदार्थों के दुष्प्रभावों के प्रति जन-जागरूकता बढ़ाना तथा नशा मुक्त भारत का निर्माण करना है।
 - सरकार द्वारा 350 एकीकृत नशा मुक्ति एवं पुनर्वास केंद्र (IRCAs) संचालित किए जा रहे हैं, जहाँ उपचार, निवारक शिक्षा, जन-जागरूकता, प्रेरक परामर्श, विषहरण, नशामुक्ति उपचार, पशु-देखभाल एवं सामाजिक पुनर्वास की सुविधाएँ उपलब्ध कराई जाती हैं।

- **काशी घोषणा:** यह नशा मुक्त भारत के लिए पाँच वर्षीय कार्य-रोडमैप है, जिस पर वाराणसी में आयोजित युवा आध्यात्मिक शिखर सम्मेलन के दौरान हस्ताक्षर किए गए।
 - भारत ने वर्ष 2047 तक नशा मुक्त भारत का राष्ट्रीय लक्ष्य निर्धारित किया है।
- **अंतरराष्ट्रीय सहयोग:** भारत ने 27 देशों के साथ द्विपक्षीय समझौते, 16 देशों के साथ समझौता ज्ञापन (MoU) तथा 2 देशों के साथ सुरक्षा सहयोग समझौते किए हैं, जिनका उद्देश्य NDPS पदार्थों, अग्रदूत रसायनों तथा उनसे संबंधित अपराधों की अवैध तस्करी पर नियंत्रण करना है।
- **एंटी-नारकोटिक्स टास्क फोर्स:** अनेक राज्यों ने राज्य स्तर पर मादक पदार्थ नियंत्रण को सुदृढ़ करने हेतु एंटी-नारकोटिक्स टास्क फोर्स का गठन किया है।
- **डार्कनेट निगरानी प्रकोष्ठ:** स्वापक नियंत्रण ब्यूरो (NCB) के अंतर्गत स्थापित यह प्रकोष्ठ इंटरनेट के माध्यम से होने वाली मादक पदार्थों की अवैध बिक्री पर निगरानी रखता है।
- **संयुक्त समन्वय समिति (JCC):** महत्वपूर्ण एवं बड़े मादक पदार्थ जब्ती मामलों की जांच की निगरानी हेतु NCB के महानिदेशक की अध्यक्षता में संयुक्त समन्वय समिति (JCC) का गठन किया गया है।
- **वैश्विक पहल**
 - **संयुक्त राष्ट्र मादक पदार्थ एवं अपराध कार्यालय (UNODC):** UNODC वैश्विक स्तर पर अवैध मादक पदार्थों के विरुद्ध संघर्ष का प्रमुख अंतरराष्ट्रीय संगठन है।
 - इसके नेतृत्व में चलाए जा रहे अभियान मादक पदार्थों के दुरुपयोग के खतरों के प्रति जन-जागरूकता बढ़ाने का कार्य करते हैं।
 - **अंतरराष्ट्रीय स्वापक नियंत्रण बोर्ड (INCB):** INCB वैश्विक मादक पदार्थों की स्थिति की निगरानी करता है तथा विभिन्न देशों द्वारा अंतरराष्ट्रीय मादक पदार्थ नियंत्रण संधियों के अनुपालन का मूल्यांकन करता है।

निष्कर्ष

- भारत में बढ़ता मादक पदार्थ संकट सार्वजनिक स्वास्थ्य, सामाजिक कल्याण एवं राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए गंभीर चुनौती बन चुका है।
- इस चुनौती से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए सरकार, नागरिक समाज एवं स्थानीय समुदायों के बीच समन्वित प्रयास आवश्यक हैं।
- साथ ही रोकथाम, पुनर्वास एवं युवाओं के सशक्तिकरण पर विशेष बल देकर ही वास्तविक अर्थों में नशा मुक्त भारत के लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकता है।

Source: TH

संक्षिप्त समाचार

गर्भाधान-पूर्व एवं प्रसव-पूर्व निदान तकनीक (लिंग चयन प्रतिषेध) अधिनियम

संदर्भ

- पोर्टेबल अल्ट्रासाउंड उपकरणों के बढ़ते उपयोग ने इस विषय पर परिचर्चा को शुरू कर दिया है कि गर्भाधान-पूर्व एवं प्रसव-पूर्व निदान तकनीक (लिंग चयन प्रतिषेध) अधिनियम, 1994 (PCPNDT Act) को अद्यतन किए जाने की आवश्यकता है, ताकि बेहतर स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुँच सुनिश्चित की जा सके तथा अल्ट्रासाउंड के अवैध लिंग निर्धारण हेतु दुरुपयोग को भी रोका जा सके।

PCPNDT अधिनियम क्या है?

- PCPNDT अधिनियम वर्ष 1994 में घटते बाल लिंगानुपात की समस्या को ध्यान में रखते हुए प्रसव-पूर्व लिंग निर्धारण तथा कन्या भ्रूण के चयनात्मक गर्भपात पर रोक लगाने के उद्देश्य से लागू किया गया था।
- वर्ष 2003 में इस अधिनियम में संशोधन कर इसके दायरे का विस्तार किया गया, जिसके अंतर्गत केवल प्रसव-पूर्व निदान तकनीकों के विनियमन तक सीमित रहने के बजाय आधुनिक प्रजनन तकनीकों के माध्यम से गर्भाधान-पूर्व लिंग चयन को भी प्रतिबंधित कर दिया गया।

दंड :

- **प्रथम अपराध:** अधिकतम 3 वर्ष का कारावास तथा ₹10,000 तक का जुर्माना।
- **पुनरावृत्ति की स्थिति में:** अधिकतम 5 वर्ष का कारावास तथा अधिक जुर्माने का प्रावधान।
- संबंधित चिकित्सा व्यवसायी का पंजीकरण राज्य चिकित्सा परिषद द्वारा निलंबित अथवा निरस्त किया जा सकता है।

अधिनियम के प्रमुख प्रावधान

- **निदान तकनीकों का विनियमन :** प्रसव-पूर्व निदान तकनीकों का उपयोग केवल निम्नलिखित रोगों अथवा विकृतियों की पहचान के लिए किया जा सकता है—
 - आनुवंशिक अथवा जन्मजात असामान्यताएँ,
 - गुणसूत्र संबंधी विकार ,
 - उपापचयी विकार ,
 - हीमोग्लोबिन संबंधी विकार ,
 - लिंग-संबद्ध आनुवंशिक रोग।
- **अनिवार्य पंजीकरण :** प्रत्येक आनुवंशिक परामर्श केंद्र , आनुवंशिक प्रयोगशाला , आनुवंशिक क्लीनिक , अल्ट्रासाउंड क्लीनिक तथा इमेजिंग केंद्र का इस अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत होना अनिवार्य है।
- **विज्ञापनों पर प्रतिबंध:** लिंग निर्धारण अथवा लिंग चयन संबंधी सेवाओं के प्रचार-प्रसार से संबंधित किसी भी प्रकार के विज्ञापन पर पूर्ण प्रतिबंध है।
- **अभिलेखों का रखरखाव:** सभी पंजीकृत क्लीनिकों के लिए प्रत्येक प्रसव-पूर्व निदान प्रक्रिया का निर्धारित अभिलेख सुरक्षित रखना अनिवार्य है।
 - अभिलेखों का उचित रखरखाव न करना भी अधिनियम के अंतर्गत एक दंडनीय उल्लंघन माना जाता है।

स्रोत: TH

एयर सुविधा 2.0 पोर्टल

संदर्भ

- नागरिक उड्डयन मंत्रालय तथा दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड (DIAL) ने एयर सुविधा 2.0 पोर्टल का शुभारंभ किया।

एयर सुविधा 2.0 पोर्टल

- यह यात्रियों के लिए विकसित एक उन्नत संपर्क-रहित स्वास्थ्य स्व-घोषणा पोर्टल है, जिसका उद्देश्य देश के प्रवेश बिंदुओं पर सार्वजनिक स्वास्थ्य निगरानी को सुदृढ़ बनाना है।
- इस पोर्टल का शुभारंभ विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) द्वारा कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य (DRC) एवं युगांडा में इबोला/बुंडीबुग्यो वायरस रोग के प्रकोप को अंतरराष्ट्रीय चिंता की सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातस्थिति घोषित किए जाने के बाद किया गया।
- स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय एवं स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के सहयोग से विकसित यह पोर्टल अंतरराष्ट्रीय यात्रियों को आब्रजन प्रक्रिया से पूर्व अनिवार्य ऑनलाइन स्वास्थ्य स्व-घोषणा पत्र प्रस्तुत करने की सुविधा प्रदान करता है।
- इस घोषणा पत्र में यात्रियों को विगत 21 दिनों की यात्रा का विवरण, संभावित संक्रमण संपर्क तथा संबंधित लक्षणों की जानकारी देनी होती है।
- यह पोर्टल एयरपोर्ट हेल्थ ऑफिसर, आप्रवासन ब्यूरो, एकीकृत रोग निगरानी कार्यक्रम (IDSP) तथा राज्य निगरानी अधिकारियों के साथ वास्तविक समय में आँकड़े साझा करता है, जिससे जोखिम वाले यात्रियों की शीघ्र पहचान एवं आवश्यक चिकित्सीय कार्रवाई संभव हो पाती है।

बुंडीबुग्यो वायरस रोग क्या है?

- बुंडीबुग्यो वायरस रोग (BVD) एक दुर्लभ एवं संभावित रूप से घातक वायरल रक्तस्रावी ज्वर है।
- यह बुंडीबुग्यो वायरस, जो इबोला वायरस का एक प्रकार है, के कारण होता है।
- अब तक इस रोग के दो प्रमुख प्रकोप दर्ज किए गए हैं—
 - युगांडा (2007) तथा
 - कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य (2012)।
- यह रोग संक्रमित अथवा मृत व्यक्ति के रक्त एवं शारीरिक द्रवों के संपर्क में आने से फैलता है।
- संक्रमित वस्तुओं तथा चमगादड़ एवं अन्य गैर-मानव प्राइमेट्स जैसे संक्रमित पशुओं के संपर्क से भी इसका संक्रमण फैल सकता है।

- इसके प्रमुख लक्षण हैं—
 - बुखार,
 - सिरदर्द,
 - मांसपेशियों में दर्द,
 - कमजोरी,
 - दस्त,
 - उल्टी,
 - पेट दर्द,
 - तथा रोग की उन्नत अवस्था में अस्पष्ट रक्तस्राव या शरीर पर नीले धब्बे।
- वर्तमान में BVD की रोकथाम अथवा उपचार हेतु कोई स्वीकृत टीका अथवा विशिष्ट औषधि उपलब्ध नहीं है।

स्रोत: PIB

बांदीपुर एवं नागरहोल बाघ अभयारण्य

संदर्भ

- कर्नाटक सरकार ने क्षेत्र में मानव-बाघ संघर्ष के कारण नवंबर 2025 से स्थगित जंगल सफारी को बांदीपुर एवं नागरहोल बाघ अभयारण्यों में पूर्ण रूप से पुनः प्रारंभ करने की घोषणा की है।

बांदीपुर एवं नागरहोल बाघ अभयारण्य

- अवस्थिति: दोनों बाघ अभयारण्य कर्नाटक में स्थित हैं।
- ये नीलगिरि जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र का हिस्सा हैं, जो भारत का प्रथम जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र है।



- **प्रोजेक्ट टाइगर** : बांदीपुर को वर्ष 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत अधिसूचित किए गए प्रथम नौ बाघ अभयारण्यों में शामिल किया गया था।

- नागरहोल को वर्ष 2003 में भारत के बाघ अभयारण्य के रूप में घोषित किया गया।
- **भूदृश्य** : तमिलनाडु के मुदुमलाई बाघ अभयारण्य तथा केरल के वायनाड वन्यजीव अभयारण्य के साथ मिलकर ये विश्व के सबसे बड़े सतत संरक्षित वन परिदृश्यों में से एक का निर्माण करते हैं, जो बाघों एवं एशियाई हाथियों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण आवास है।
- **नदी तंत्र** : कबिनी जलाशय बांदीपुर एवं नागरहोल बाघ अभयारण्यों को उत्तर-पश्चिम दिशा में पृथक करता है।
- **प्रमुख जीव-जंतु** : बाघ,
 - तेंदुआ,
 - एशियाई जंगली कुत्ता (ढोल),
 - स्लॉथ भालू,
 - एशियाई हाथी,
 - चार सींग वाला मृग,
 - माउस डियर ,
 - दक्षिण-पश्चिमी लंगूर आदि।
- **प्रमुख वनस्पति** : यहाँ मुख्यतः उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन, शुष्क पर्णपाती वन, झाड़ीदार वन तथा बाँस एवं सागौन के विस्तृत क्षेत्र पाए जाते हैं।

स्रोत: TH

